न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 44/22 GCMS NO 2022/78

नसरूद्दीन पुत्र हाजी तैयब गद्दी जाति मुसलमान गद्दी निवासी गौगोर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. समसू पुत्र छीतर
2. इस्लाम पुत्र छीतर
3. नफीस पुत्र कमरूद्दीन समस्त जातियान मुसलमान ग्राम गौगोर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 16/16 निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री इंसाफ अली
अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 12.05.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्व निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 एक ही गांव के रहने वाले है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 930 रकबा 0.19 है0 , ख0न0 931 रकबा 0.21 है0 , ख0न0 932 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम गौगोर मे मौजूद है। उक्त आराजी मे आने जाने का एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 की खातादारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 933 रकबा 0.43 है0 की मेड से ग्राम मैनपुरा से धनोली जाने वाली नहर की पाल वाले आम रास्ते पर आते जाते है । प्रार्थी उक्त खेत ख0न0 932 से नहर की पाल वाले आम रास्ते की दूरी लगभग 150–200 फीट की है इसके अलावा प्रार्थी को उक्त आम रास्ते से अपने खेत पर आने जाने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थी अपने खेत खसरा न0 932 से पाल पर बने आम रास्ता पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 के उक्त खेत खसरा न0 933 से वर्षो से निकलता आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज नही है। दिनांक 20.10.16 को प्रातः 10 बजे क[illegible]थीगण उक्त खेत खसरा न0 933 की तारबंदी कर रहे थे तब प्रार्थी ने क[illegible] क्यो कर रहे हो इस मेड के रास्ते से प्रार्थी वर्षो से अपने खेत खसरा न0 932 पर [illegible] आता जाता रहा है। इस बात पर अप्रार्थीगण प्रार्थी से झगडा फिसाद करने लगे तथा मे[illegible] के रास्ते से आने जाने के लिए मना कर दिया। अतः प्रार्थी को अपने खेत खसरा न0 930,931 व 932 वाके ग्राम गौगोर तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर से ग्राम मैनपुरा से धनोली जाने वाली नहर की पाल पर बने आम रास्ते तक आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा न0 933 वाके ग्राम गौगोर की मेड पर होकर 10 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे तरमीम कराने के आदेश प्रदान किये जाने। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) खारिज किये जाने व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राज०) सत्यमेव जयते

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक व दिनांक के कॉलम न0 5 मे स्पष्ट अंकित है कि अपीलांट को रास्ते की सख्त आवश्यकता है। उसे अन्य कोई अल्टरनेट रास्ता मौजूद नही है। जिससे साफ जाहिर है कि अपीलांट वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन करता है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट अंकित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलांट की ग्राम गौगोर मे स्थित भूमि खसरा न0 930,931 व 932 मे कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए रास्ता सबसे निकटतम भूमि खसरा न0 933 रकबा 0.43 है0 की मेड से होकर उपलब्ध कराया जावे । इसी मेड पर नहर का धोरा (पानी की नाली) है। जिससे स्वयं व अन्य खातेदारो की 60 से अधिक भूमि की पीलाई की जाती है । धोरे का पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे भी जिक्र है। रेस्पो0 की आराजी ख0न0 933 व अपीलांट की स्वामित्व की आराजी ख0न0 930,931 व 932 मौके पर चरपेटवा है जिसमे होकर अपीलांट को रास्ता दिया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेख कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट वर्षो से अपनी आराजी मे आवागमन इसी भूमि खसरा न0 933 की मेड पर स्थित धोरे से होकर आवागमन करता रहा है मौका रिपोर्ट भी स्पष्ट करती है कि अपीलांट को रास्ते की आवश्यकता है। और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई दोनो रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र 251 ए खारिज कर अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय को धारा 251 क की मंशा व प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो को ध्यान मे रखकर निर्णय पारित करना चाहिए था। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट के नाम दर्ज भूमि खसरा न0 963 रकबा 0.32 है0 [illegible] 0.10 है0 रेस्पो0 के कब्जे की भूमि की सीध मे होकर मानकर एवं नहर की पाल पर स्थित [illegible] होना मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने मे अहम भूल की है। अपीलांट [illegible] आराजी पर वर्षो पूर्व से रेस्पो0 के कब्जे के खसरा न0 933 की मेड जो नहर की पाल से [illegible] मुख्य सडक को मिलाती है मे से होकर अपीलांट आता जाता रहा है। अधिनस्थ न्यायालय [illegible] इस तथ्य को गौर नही किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नहर की पाल (धोरा) सिचाई विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) द्वारा 171 बीघा भूमि खातेदार से एक्वायर कर जिस पर उची उची पाल (धोरा) खातेदारी भूमि मे होकर निकाली है । मगर नक्शा शीट मे तरमीम व इन्द्राज नही होने से उक्त भूमि मात्र खातेदारी इन्द्राज है। मगर इसका उपयोग आवागमन व नहर का पानी देने से सार्वजनिक रूप सें करते है। जिसे खातेदार बंद नही कर सकता। यदि उक्त धोरे को अवरूद्व करने का अधिकार होता है तो पहले निकलने की क्यो दिया एवं धोरे की भूमि खातेदार के लिए यूजलेस है। जिस पर कृषि नही होती जो पडत की तारीफ मे आती है जो रास्ता देने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्य दस्तावेजी का सही तरीके से अवलोकन नही कर मात्र सरसरी तौर पर अपने निर्णय मे यह फाईडिंग देते हुए कि अपीलांट की आराजी ख0न0 961,962,963 मे होकर रास्ता सुविधाजनक रहेगा कहकर इल्लीगल इम्प्रोजर व इन करेक्ट निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है क्योकि खसरा न0 961,962 व 963 मे अपीलांट के हिस्से की और बोर लगा हुआ है डिप सिस्टम मे डिप लगी है तथा 15 वर्ष पुराना अमरूदो का बगीचा लगा है। जिसमे से रास्ता लेना संभव नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट की अनदेखी की है जबकि प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित चाहे गये रास्ते की लम्बाई व चौडाई की डी एल सी दर से दो गुना राशि अपीलांट जमा करवाने को तैयार होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट /प्रार्थी द्वारा चाही गई रिलीफ पर गौर नही कर अहम कानूनी भूल की है। इसलिये निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 251 क प्रस्तुत करते ही रेस्पों0 संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजी का बेचान कर दिया गया। जिसे भी रेस्पो0 संख्या 3 बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांट/प्रार्थी की ग्राम गौगोर मे स्थित भूमि हाल खसरा न0 930,931 व 932 मे कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु रेस्पो0 संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि खसरा न0 933 की मेड पर होकर रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी/अपींलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथो से पेश नही किया है क्योकि हाल ट्रेसशीट के अनुसार खसरा न0 963 रकबा 0.37 है0, 964 रकबा 0.10 है0 प्रार्थी/अपीलांट के नाम खातेदारी मे दर्ज है एवं मौके पर नहर के उपर स्थित है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी/अपीलांट को रेस्पो0 द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा न0 933 व 934 की नहर के उपर स्थित होने से प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है। अपींलांट एवं रेस्पो0 के नाम दर्ज भूमियां एक ही सीध मे एवं नहर के उपर स्थित है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे इस तथ्य को छिपाया है कि खाता संख्या 135 मे अंकित खसरा न0 963 ,964 नहर की पाल पर रेस्पो0 की भूमि की सीध मे मौजूद है जिसके [illegible] खसरा न0 का इन्द्राज नही किया है। जबकि प्रार्थी/अपीलाट के ख0न0 963 व 9[illegible] नहर की पाल मे रेस्पो0 की सीध मे स्थित है तो उसको रास्ते की कहॉ आवश्यकता [illegible] ख0न0 930,931 व 932 आवागमन कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी कारण प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट मे भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.30 13:40:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है साथ ही सिचाई विभाग आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसको प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी खसरा न0 930,931 व 932 पर आने जाने हेतु रेस्पो0 की आराजी खसरा न0 933 मे से रास्ता चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिसमे तहसीलदार द्वारा स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा न0 930,931 व 932 पर आवागमन हेतु खसरा न0 933 के अलावा खसरा न0 939,940,840,845,935 व 934 मे होकर आवागमन सुविधाजनक है। परन्तु अपीलांट द्वारा केवल मात्र खसरा न0 933 मे से ही रास्ता चाहा गया है। इसी कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। रास्ता एक अत्यधिक आवश्यकता है जो किसी खातेदार आसामी की जोत पर पहुॅच के लिए आवश्यक है। रास्ते के अभाव मे खातेदार को उस भूमि की फसल काश्त से बंचित होता है। इस प्रकार अपीलांट/प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। उक्त विवेचन से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी की भूमि ख0न0 930,931 व 932 पर पहुॅच हेतु सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ते हेतु तहसीलदार से पुनःतथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं जिस खातेदार की भूमि मे से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हो उसके खातेदार को तलब किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानो के तहत प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा न0 16/16 मे पारित निर्णय दिनांक 18.5.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे ख0न0 930,931 व 932 पर पहुॅच हेतु सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ते हेतु तहसीलदार से पुनःतथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं जिस खातेदार की भूमि मे से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हो उसके खातेदार को तलब किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानो के तहत प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ दिनांक 9.6.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.25 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:00 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर